रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 273] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 1976/श्रावण 14, 1898
No. 273] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 1976/SRAVANA 14, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th August 1976

G.S.R.755(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (No. 49 of 1976), the Central Government hereby appoints 5th day of August, 1976 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F. II-21022/5/76-S&P(D.I)]

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1976

सा० का० नि० 755(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1976 के अगस्त के पांचवें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं० फा० II-21022/5/76–एस और पी (डी० I)]

G.S.R.756(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on 5th day of August, 1976.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976;

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "section" means a section of the Act.

3. **Application for obtaining prior permission to receive foreign contribution or foreign hospitality.**—An application for obtaining prior permission of the Central Government to—

(a) receive foreign contribution under sub-section (1) of section 5, or clause (a) of sub-section (2) of that section, shall be made in Form FC-1;

(b) accept foreign hospitality under section 9, shall be made in Form FC-2.

4. **Intimation regarding receipt of foreign contribution or scholarship or stipend or any payment of a like nature or foreign hospitality.**—(1) An intimation as to the receipt of—

(a) foreign contribution by an association referred to in sub-section (1) of section (6) shall be given in Form FC-3, within thirty days of the receipt of such contribution;

(b) foreign contribution by a candidate for election, referred to in sub-section (2) of section 6 shall be given in Form FC-4, within fifteen days from the date on which he is duly nominated as a candidate for election;

(c) any scholarship, stipend or any payment of a like nature, from any foreign source in relation to which an intimation is required to be given under sub-section (1) of section 7, shall be given in Form FC-5, within thirty days of receipt of such scholarship, stipend or payment or a like nature:

Provided that where the person receiving the scholarship, stipend or any payment of a like nature is residing outside India, the intimation shall be given within sixty days from the date of receipt of such scholarship, stipend or other payment of a like nature;

(d) foreign hospitality, referred to in the proviso to section 9, shall be given on plain paper within thirty days from the date of receipt of such hospitality specifying the particulars as to the receipt of such hospitality and the source from which and the manner in which such hospitality was received.

5. **Intimation of receipt of scholarship, stipend or any payment of a like nature, when not necessary.**—It shall not be necessary for a citizan of India to give any intimation under section 7 regarding receipt of scholarship, stipend or any payment of a like nature from any foreign source, if the value of such scholarship, stipend or other payment does not exceed, during an academic year, rupees thirty-six thousand.

Explanation.—In calculating the value,—

(a) the amount received by the citizen for the purchase of books, clothing and equipment and for sight-seeing in a foreign country or territory shall be taken into account; but

(b) the amount spent in travel by air in economy class from India to a foreign country or territory and back to India from such foreign country or territory, and the amount spent by the foreign source in respect of such citizen towards tuition and other fees, shall not be taken into account.

6. **Authority to whom an application or intimation to be sent.**—Any application or intimation referred to in rule 3 or rule 4, as the case may be, shall be made or given to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, New Delhi, and such application or intimation shall be sent by registered post.

7. **Manner of service of prohibitory order or any other order or direction.**—A prohibitory order under section 12 or any other order or direction made or issued under the Act, shall be served on the person concerned in the following manner, that is to say,—

(a) by delivering or tendering it to that person or to his duly authorisd agent ; or

(b) by sending it to him by registered post with acknowledgment due to the address of his last known place of residence or the place where he carries on, or is known to have last

carried on, business, or the place where he personally works for gain or is known to have last worked for gain, and in case the person is an organisation or an association, to the last known address of the office of such organisation or association;

(c) if it cannot be served in any of the manner aforesaid, by affixing it on the outer door or some other conspicious part of the premises in which that person resides, or carries on, or is known to have last carried on, business, or personally works for gain, or is known to have last worked personally for gain, and in case the person is an organisation or an association, on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the office of that organisation or association is located, or is known to have been last located, and the written report whereof should be witnessed by at least two persons.

8. **Maintenance of accounts.**—(1) A separate set of accounts and records shall be maintained, exclusively for foreign contribution received and utilised,—

(a) in Form FC-6, where the foreign contribution relates only to articles as referred to in item (i) of sub-clause (C) of Clause (1) of section 2;

(b) in the cash book and ledger account on double entry basis, where the foreign contribution relates to currency received and utilised, and a separate bank account shall be maintained in respect of such contribution ;

(c) in Form FC-7, where the foreign contribution relates to foreign securities.

(2) Every account specified in sub-rule (1) shall be maintained on a half-yearly basis, one for the period commencing on the 1st day of July and ending on the 31st day of December, and the other for the period commencing on the 1st day of January and ending on the 30th day of June, and every such half-yearly account, duly certified by a chartered accountant, shall be furnished to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, New Delhi with forty-five days of the close of the half year.

Explanation.—In this rule, "chartered accountant" has the meaning assigned to it in the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949).

9. **Limits upto which an officer, not below the rank of an Assistant Sessions Judge may make adjudication of confiscation.**—An officer referred in clause(b) of section 19 may adjudge confiscation in relation to any article or currency seized under section 16, if the value of such article or the amount of such currency exceeds one thousand rupees but does not exceed fifty thousand rupees.

FORM FC-1

[*See* rule 3(a)]

Application for seeking prior permission of the Central Government for accepting foreign contribution by or on behalf of an organisation of political nature not being a political party

[Section 5(1) and 5(2)(a) of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976]

1. (a) Particulars of the Organisation :
   (full name in BLOCK LETTERS, and address).
   (b) Address of the Principal/Head Office of the Organisation.

2. Full particulars of the person applying on behalf of the Organisation :
   (a) Name (in full in BLOCK LETTERS)
   (b) Name of father
   (c) Occupation
   (d) Residential address
   (e) If an office bearer, the office held in the Organisation.

3. Reference of the order published by the Central Government in the Official Gazette specifying the Organisation as an "Organisation of Political Nature, not Being a political party".

4. Nature and full details of contribution including value, to be received:

5. The mode/channel of receipt.

6. Purpose for which foreign contribution is proposed to be received.

7. Particulars of the foreign source from which contribution to be received;

(a) If an individual, his personal particulars including name, present address, permanent address, nationality, profession.

(b) If an organisation/Institution/Association/Trust/Foundation/Trade Union, etc., full particulars thereof including :—

(i) Full name and complete address.

(ii) Address of Head Office/Principal Office.

(iii) Aims and objects.

(iv) Particulars of important office bearers.

8. Nature of connection/dealings with the foreign source.

9. Any other information of significance which the applicant may like to furnish.

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place : Signature of the applicant.

Date :

NOTE.—In case of application by an Organisation, it should be signed by the chief functionary.

FORM FC-2

[*See* rule 3(b)]

Application for seeking prior permission of the Central Government to accept foreign hospitality

[Section 9 read with sections 10(d) and 11(1) of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976]

1. Name in full (in block letters).
2. Date of birth.
3. Name of father.
4. Present address.
5. Permanent address.
6. Passport particulars (if already in possession of).
7. *Status.

(a) Member of Parliament/State Legislature.

(b) Office bearer of a political party.

(c) Government servant.

(d) Employee of a Company/Corporation.

(e) Office bearer of a registered society.

8. Names of Countries/Places to be visited with duration of stay.
9. The countries and places where foreign hospitality is to be accepted.
10. Duration and purpose of visit to the country(ies)/place(s) mentioned in column 9.
11. Particulars of host(s) :—

(a) If an individual, his personal particulars including name, present address, permanent address, nationality, profession.

*See section 2(1)(a), 2(1)(f), 2(1)(g) and 4 of the Act, as maybe applicable.

(b) If an organisation/Institution/Association/Trust/Foundation/Trade Union, etc. full particulars thereof including :—

(i) Full name and complete address.

(ii) Address of Head Office/Principal Office.

(iii) Aims and objects.

(iv) Particulars of important office bearers.

12.@Full particulars as in serial numbers 11(a) & (b) of the foreign source in case the actual source extending the hospitality is located in a country other than actually proposed to be visited.

13. Nature and duration of hospitality proposd to be accepted (give specific details).

14. Nature of connection/dealings with the host and/or foreign source extending the hospitality.

15. Approximate expenditure to be incurred on hospitality.

16. Any other information of significance which the applicant may like to furnish.

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Signature of the Applicant.

Place :

Date :

FORM FC-3

[*See* rule 4(a)]

Intimation to the Central Government of receitpt of Foreign Contribution by an Association

[Section 6(1) of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976]

1. Particulars of the Association.
(Full name in Block Letters and address).

2. Name and addresses of its important Office-bearers.

3. Aims and objects of the Association.

4. Address of the Principal Office/Head Office of the Association.

5. Nature and full details of foreign contribution including value received.

6. The mode/channel of receipt.

7. Purpose for which contribution received.

8. Particulars of the foreign source from which contribution received :

(a) If an individual, his personal particulars includng name, present address, permanent address, nationality, profession.

(b) If an Organisation/Institution/Association/Trust/Foundation/Trade Union, etc. full particulars thereof including :—

(i) Full name and complete address

(ii) Address of Head Office/Principal Office

(iii) Aims and objects.

(iv) Particulars of important office bearers.

9. Nature of connection/dealings with the foreign source.

@ Delete if not applicable.

10. Details of actual utilisation of the contribution :

(a) Particulars of branch or branches of the Association which utilised the contribution and the amount utilised by each branch.

(b) Specific purposes for which utilised.

(c) Full description of the manner in which utilised.

11. Any other information of significance.

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place :
Date :

Signature of the Chief Functionary of the Association.

FORM FC-4

[*See* rule 4(b)]

Intimation to the Central Government of Receipt of Foreign Contribution received by a candidate for Election

[Section 6(2) of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976]

1. Name in full (in block letters)

2. Date of birth.

3. Name of father.

4. Present Address.

5. Permanent Address.

6. Date which duly nominated as a candidate for election to a Legislature and particulars of Legislature. (See Section 2(1)(b) and 2(1)(f) of the Act).

7. Full paticulars of foreign contribution received within 180 days immediately preceding the date on which duly nominated as a candidate for election to the Legislature.

8. Nature and full details of the contribution including value.

9. The mode/channel of receipt.

10. Purpose for which contribution was received.

11. Particulars of the foreign source from which contribution received :

(a) If an individual, his personal particulars including name, present address, permanent address, nationality, profession.

(b) If an organisation/Institution/Association/Trust/Foundation/Trade Union, etc. full particulars thereof including :—

(i) Full name and complete address.

(ii) Address of Head Office/Principal Office.

(iii) Aims and objects.

(iv) Particulars of important office bearers.

12. Nature of connection/dealings with the foreign sources.

13. Details of actual utilisation of the contribution :

(a) Specific purposes for which utilised.

(b) Full description of the manner in which utilised.

14. Any other informaion of significance which the applicant may like to furnish.

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place : Signature of the Candidate

Date :

Certified that the above declaration was signed by Shri ....
S/o.., resident of.................................
.............................a candidate for election to (*)...
before me on this.......................................day of 19......

Signature

(Name in block letters),

Designation

(To be signed by a Class-I Gazetted Officer @ or a 1st Class Magistrate).

FORM FC-5

[*See* rule 4(c)]

Intimation to the Central Government of receipt of scholarship, stipend or any payment of a like nature from a foreign source

[Sections 7(1) and (2) of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976]

1. Name in full (Block Letters).
2. Date of birth.
3. Name of father.
4. Present address.
5. Permanent address.
6. Passport particulars.
7. Specific details of occupation/profession.
8. Particulars of the foreign source from whom scholarship, stipend or payment of a like nature was received :—

   (a) If an individual, his personal particulars including name, present address, permanent address, nationality, profession.

   (b) If an Organisation/Institution/Association/Trust/Foundation/Trade Union etc. full particulars thereof including :—

   (i) Full name and complete address.

   (ii) Address of Head Office/Principal Office.

   (iii) Aims and objects.

   (iv) Particulars of important office bearers.

9. Nature and full details of scholarship, stipend or any payment of a like nature received from foreign source, indicating (a) total amount and its break-up under various heads like cost of journey, equipment, clothing, maintenance, tuition fees, residence fees, books, etc. and (b) mode/channel of receipt.

(*) Here specify the 'Legislature' as defined in Section 2(1)(f) of the Act.

@ Of the State/Central Government.

10. Purpose of the scholarship, stipend or any payment of a like nature with specific details of courses attended/to be attended.

11. Duration of stay abroad with dates.

12. Any other information of significance, which the applicant may like to furnish.

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place :

Date :

Signature of applicant.

10. Purpose of the scholarship, stipend or any payment of a like nature with specific details of courses attended/to be attended.

11. Duration of stay abroad with dates.

12. Any other information of significance, which the applicant may like to furnish.

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place : Signature of applicant.
Date :

FORM FC—6

[*See* rule 8(a)]

FOREIGN CONTRIBUTION (ARTICLES) ACCOUNT

DESCRIPTION OF THE ARTICLE :

RECEIPT							UTILISATION/DISPOSAL								
									QUANTITY						
Date	Name and address of the person from whom received	Mode of receipt	Purpose of receipt	Quantity received	Approx. value of articles received	Date of intimation sent to the Central Government	Date	Name and address of the person to whom issued, sold or otherwise transferred	Purpose for which issued or otherwise transferred	Utilised by the Organisation	Sold	Otherwise transferred	If sold the amount for which sold	Reference to entry in the Foreign Contribution (Currency) Account	Balance in stock
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Signature.

FORM FC—7

[*See* rule 8(c)]

FOREIGN CONTRIBUTION (SECURITIES) ACCOUNT

(1) Nature of Securities

(2) Nominal value of each security.

Date	Name and address of the person from whom received	Distinguishing number of each security	Total of securities	Total nominal value of securities	Particulars of permission of the Reserve Bank of India to acquire or to hold foreign securities	Particulars of intimation sent to the Central Government	Date	Dividend or interest/received	Date upto which dividend or interest has been received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Details of Dividends/Interest received

Reference to the credit entry in the Foreign Contribution (Currency) Account	Date	Name and Address of the person to whom sold/transferred	Total No. of Securities sold/transferred	Distinguishing number of each security transferred	Total amount for which sold/transferred	Particulars of permission of the Reserve Bank of India to sell/transfer securities	Particulars of intimation sent to the Central Government	Reference to the entry in the Foreign Contribution (Currency) Account
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Signature.

[No. F. II-21022/5/76-S&P (D.I.)]

R. L. MISRA, Jt. Secy.

सा० का० नि० 756 (अ) .—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 1976 है ।

(2) ये 5 अगस्त, 1976 को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषायें** :—इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) अधिनियम से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 अभिप्रेत है;

(ख) प्ररूप से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. **विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य ग्रहण करने से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने हेतु आवेदन** :—निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने हेतु आवेदन,—

(क) धारा 5 की उपधारा (1), या इसी धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क), के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के प्रयोजन की दशा में प्ररूप वि० आ०—1 में किया जाएगा; और

(ख) धारा 9 के अधीन विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के प्रयोजन की दशा में, प्ररूप वि० आ० 2 में किया जाएगा ।

4. **विदेशी अभिदाय या छात्रवृत्ति या वत्तिका या इसी प्रकार का कोई संदाय अथवा विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने से पूर्व संसूचना** —(1) निम्नलिखित की स्वीकृति की संसूचना, अर्थात् :—

(क) धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संगम द्वारा विदेशी अभिदाय की स्वीकृति की संसूचना ऐसे अभिदाय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर प्ररूप वि० आ० 3 में दी जाएगी;

(ख) किसी निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विदेशी अभिदाय की स्वीकृति की संसूचना, उसके निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नामनिर्देशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप वि०आ० 4 में दी जाएगी ;

(ग) किसी विदेशी स्रोत से कोई छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार का कोई संदाय, जिसकी बाबत धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संसूचना देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार के किसी संदाय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर प्ररूप वि० आ० 5 में दी जाएगी :

परन्तु जहां छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार के किसी संदाय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत से बाहर निवास कर रहा है वहां सूचना

ऐसी छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार के किसी अन्य संदाय की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर दी जाएगी ;

(घ) धारा 9 के परन्तुक में निर्दिष्ट विदेशी आतिथ्य की संसूचना, ऐसे आतिथ्य की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे आतिथ्य की विशिष्टियां और उस श्रोत को जिससे और वह रीति जिसमें ऐसा आतिथ्य प्राप्त हुआ, विनिर्दिष्ट करते हुए सादा कागज पर दी जाएगी ;

5. **छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार के किसी अन्य संदाय की संसूचना देना कब आवश्यक न होगा** :—किसी भारतीय नागरिक के लिए धारा 7 के अधीन किसी विदेशी श्रोत से छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार के किसी अन्य संदाय की प्राप्ति की संसूचना देना आवश्यक नहीं होगा यदि एसी छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार के किसी अन्य संदाय का मूल्य, किसी शिक्षा सत्र के दौरान, छत्तीस हजार रुपए से अधिक नहीं हो ।

स्पष्टीकरण :—मूल्य की संगणना करने में,—

(क) किसी नागरिक द्वारा अन्य देश या राज्यक्षेत्र में पुस्तकों, वस्त्रों और उपस्करों तथा दृश्यावलोकन के प्रयोजन के लिए प्राप्त की गई राशि गणना में ली जाएगी ; किन्तु

(ख) भारत से अन्य देश या राज्य क्षेत्र तक और उस देश या राज्यक्षेत्र से वापस भारत तक वायुमार्ग से किफायती श्रेणी में यात्रा पर व्यय की गई राशि और एसे नागरिक की बाबत विदेशी श्रोत द्वारा शिक्षा-शुल्क या अन्य शुल्कों पर खर्च की गई राशि गणना में नहीं ली जाएगी ।

6. **वह प्राधिकारी जिसे आवेदन या सूचना दी जायगी** :—नियम 3 या नियम 4 में निर्दिष्ट, यथास्थिति, कोई आवेदन या संसूचना सचिव, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली को किया जाएगा या दी जाएगी और ऐसा आवेदन या ऐसी संसूचना रजिस्ट्री डाक से भेजी जाएगी ।

7. **प्रतिषेधात्मक आदेश या किसी अन्य आदेश या निर्देश के तामील की रीति** :—धारा 12 के अधीन कोई प्रतिषेधात्मक आदेश या अधिनियम के अधीन किया गया कोई अन्य आदेश या जारी किया गया निर्देश, व्यक्ति पर निम्न-लिखित रीति में तामील किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) उस व्यक्ति को या उसके सम्यक्तः प्राधिकृत अभिकर्ता को परिदत्त कर के या सौंप कर ; या

(ख) उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर या उस स्थान पर जहां वह कारबार करता है या जिसके बारे में ज्ञात है कि वहां उसने अन्तिम रूप से कारबार किया है या स्थान जहां वह लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काय करता है या जिसके बारे में ज्ञात है कि वहां उसने अन्तिम रूप से लाभ के लिए कार्य किया है, उसके नाम से, और व्यक्ति के संगठन या संगम होने

की दशा में, ऐसे संगठन या संगम के कार्यालय के अन्तिम ज्ञात पते पर, रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज कर ;

(ग) यदि उसे पूर्वोक्त किसी रीति में तामील न किया जा सके तो, उस परिसर के जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है या कारबार करता है या जहां उसके द्वारा अन्तिम रूप से कारबार किया जाना ज्ञात है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है, या ज्ञात है, कि अन्तिम रूप से लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य किया है, बाहरी द्वार या किसी सहजदृश्य भाग पर, और व्यक्ति के संगठन या संगम होने की दशा में, उस परिसर के, जहां संगठन या संगम का कार्यालय स्थित है या जहां उसका अन्तिम रूप से स्थित होना ज्ञात है, बाहरी द्वार पर या परिसर के किसी सहजदृश्य स्थान पर उसे चिपका कर; जिसकी लिखित रिपोर्ट पर कम से कम दो व्यक्तियों की साक्षी होनी चाहिए ।

8. **लेखाओं का रखा जाना.**—(1) विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उनके उपयोग के लिए लेखाओं और अभिलेखों के लिए पूर्णरूप से पृथक लेखे,—

(क) जहां विदेशी अभिदाय धारा 2 के खण्ड (i) के उपखण्ड (ग) की मद (i) में निर्दिष्ट वस्तुओं के सम्बन्ध में हो वहां प्ररूप वि० अ०–6 में रखे जायेंगे ;

(ख) जहां विदेशी अभिदाय का संबंध प्राप्त और उपयोजित करेंसी से हो, वहां दुहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर रोकड़ बही या खाता बही में रखे जायेंगे और ऐसे अभिदाय की बाबत एक पृथक बैंक खाता खोला जाएगा;

(ग) जहां विदेशी अभिदाय विदेशी प्रतिभूतियों के संबंध में हो, वहां प्ररूप वि० अ०-7 में रखे जायेंगे ।

(2) उप नियम (i) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक लेखा अर्द्धवार्षिकी आधार पर रखा जाएगा जिसमें से प्रथम 1 जुलाई से आरम्भ हो कर 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली अवधि के लिए और द्वितीय 1 जनवरी से आरम्भ हो कर 30 जून को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सम्यक्त: प्रमाणित, ऐसा प्रत्येक अर्द्धवार्षिकी लेखा अर्द्ध वर्ष की समाप्ति से पैंतालीस दिन के भीतर सचिव, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम में चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट का वही अर्थ है जो उसका चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) में है ।

9. **वह परिसीमा जिस तक कोई ऐसा अधिकारी, जो सहायक सेशन न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो, अधिहरण का न्यायनिर्णयन कर सकता है.**—धारा 19 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी धारा 16 के अधीन अभिगृहीत किसी वस्तु या करेंसी के सम्बन्ध में अधिहरण का न्याय निर्णयन कर सकेगा यदि ऐसी वस्तु का मूल्य या करेंसी की राशि एक हजार रुपए से अधिक किन्तु पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

प्ररूप--वि० अ० 1

[नियम 3 (क) देखिए]

राजनीतिक प्रकार के किसी संगठन, जो राजनीतिक दल नहीं द्वारा या उसकी ओर से विदेशी अभिदाय ग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन--

[विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 5(1) और 5(2) (क) देखिए]

1. (क) संगठन की विशिष्टियां :
   (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम और पता)
   (ख) संगठन के प्रधान/मुख्य कार्यालय का पता :

2. संगठन की ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की पूर्ण विशिष्टियां :
   (क) नाम (स्पष्ट अक्षरों में पूरा) :
   (ख) पिता का नाम :
   (ग) उपजीविका :
   (घ) आवासीय पता :
   (ङ) यदि संगठन का कोई पद धारी है तो पद का नाम :

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस संगठन को राजनीतिक प्रकार का संगठन, जो राजनीतिक दल नहीं है विनिर्दिष्ट करने वाले, राजपत्र में प्रकाशित, आदेश का प्रति निर्देश :

4. प्राप्त किए जाने वाले अभिदाय की प्रकृति और पूर्ण विवरण, जिसमें मूल्य भी है :

5. प्राप्ति की विधि/प्रणाली :

6. वह प्रयोजन जिसके लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की प्रस्थापना की गई है :

7. उस विदेशी स्रोत की विशिष्टियां जिससे अभिदाय प्राप्त होना है :
   (क) यदि व्यक्ति है तो उसकी व्यक्तिगत विशिष्टियां जिस में नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, राष्ट्रिकता और व्यवसाय सम्मिलित है :
   (ख) यदि कोई संगठन/संस्था/संगम/न्यास/प्रतिष्ठान/ट्रेड यूनियन, आदि है तो उनकी निम्न लिखित सहित पूर्ण विशिष्टियां ---
      (i) पूरा नाम और पूरा पता :
      (ii) मुख्य प्रधान कार्यालय/प्रधान कार्यालय का पता :
      (iii) लक्ष्य और उद्देश्य, :

(iv) महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की विशिष्टियां :

8. विदेशी स्रोत से सम्बन्ध / व्यौहार की प्रकृति :

9. कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, जो आवेदक देना चाहे :

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई पूर्वोक्त विशिष्टियां सत्य हैं और ठीक हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर।

स्थान :

तारीख :

टिप्पणी : किसी संगठन द्वारा आवेदन किए जाने की दशा में उस पर उसके मुख्य कृत्याकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

प्ररूप-वि० अ० 2

[नियम 3(ख) देखिए]

विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा हेतु आवेदन :

[विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 10 (घ) और 11(i) के साथ पठित धारा 10]

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. जन्म तिथि :
3. पिता का नाम :
4. वर्तमान पता :
5. स्थाई पता :
6. पासपोर्ट-विशिष्टियां :
   (यदि पहले से हों)
7. *प्रास्थिति
   (क) संसद/विधान मण्डल का सदस्य
   (ख) किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी
   (ग) सरकारी सेवक
   (घ) कम्पनी/निगम का कर्मचारी

---

*अधिनियम की धारा 2(1)(क), 2(1)(च), 2(1)(छ), और 4 में से जो लागू हों देखिए ।

(ङ) किसी रजिस्ट्रीकृत समिति का पदाधिकारी

8. उन देशों/स्थानों के नाम जिन्हें निवास की अवधि में देखना है :

9. देश और स्थान जहां विदेशी आतिथ्य स्वीकार किया जाता है :

10. स्तम्भ 9 में वर्णित देश(देशों स्थान/स्थानों के परिदर्शन का प्रयोजन, और

11. आतिथ्य (आतिथ्यों) की विशिष्टियां

(क) यदि व्यष्टि है तो उसकी व्यक्तिगत विशिष्टियां जिस में नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, राष्ट्रिकता और व्यवसाय सम्मिलित है :

(ख) यदि कोई संगठन/संस्था/संगम/न्यास/प्रतिष्ठान/ट्रेड यूनियन, आदि है तो उनकी पूर्ण विशिष्टियां जिसमें,—

(i) पूरा नाम और पता:

(ii) मुख्य कार्यालय / प्रधान कार्यालय का पता:

(iii) लक्ष्य और उद्देश्य:

(iv) महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की विशिष्टियां :

12. @ऐसी दशा में जब आतिथ्य देने वाला वास्तविक स्रोत उस देश से भिन्न किसी देश में स्थित है जिस के परिदर्शन की प्रस्थापना है तो उस विदेशी स्रोत की पूर्ण विशिष्टियां, जैसे क्रम संख्याक 11(क) और (ख) में है :

13. स्वीकार करने के लिए प्रस्थापित आतिथ्य की प्रकृति और अवधि:

14. आतिथ्य देने वाले आतिथ्य और/या विदेशी स्रोत से सम्बन्ध/व्यौहार:

15. आतिथ्य पर उपगत होने वाला अनुमानित व्यय:

16. कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो आवेदक देना चाहे:

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई पूर्वोक्त विशिष्टियां सत्य और ठीक हैं ।

आवेदक का हस्ताक्षर ।

स्थान :

तारीख :

@जो लागू नहीं होता उसे काट दें ।

प्ररूप—वि० अ० 3

[नियम 4 (क) देखिये]

किसी संगम द्वारा केन्द्रीय सरकार को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की संसूचना

[विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6(1) देखिए]

1. संगम की विशिष्टियां
   (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम और पता)
2. उसके महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम और पते
3. संगम के लक्ष्य और उद्देश्य
4. संगम के प्रधान/मुख्य कार्यालय का पता
5. विदेशी अभिदाय की प्रकृति और पूर्ण विवरण, जिसमें प्राप्त मूल्य भी है
6. प्राप्ति की विधि/प्रणाली
7. वह प्रयोजन जिसके लिये विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की प्रस्थापना है
8. उस विदेशी श्रोत की विशिष्टियां जिससे अभिदाय प्राप्त हुआ है :
   (क) यदि व्यष्टि है तो, उसकी वैयक्तिक विशिष्टियां, जिस में नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, राष्ट्रिकता और व्यवसाय सम्मिलित हैं :
   (ख) यदि कोई संगठन/संस्था/संगम/न्यास/प्रतिष्ठान/ट्रेड यूनियन, आदि है तो उनकी निम्नलिखित सहित पूर्ण विशिष्टियां :
      (i) पूरा नाम और पता
      (ii) मुख्य/प्रधान कार्यालय का पता
      (iii) लक्ष्य और उद्देश्य,
      (iv) महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की विशिष्टिया :
9. विदेशी श्रोत से संबंध/ब्यौहार
10. अभिदाय के वास्तविक उपयोजन के ब्यौरे :
    (क) उस संगम की शाखा या शाखाओं की विशिष्टियां जिन्होंने अभिदाय का उपयोग किया और प्रत्येक शाखा द्वारा उपयोजित राशि ।
    (ख) विनिर्दिष्ट प्रयोजन जिसके लिए उपयोजित किया गया ।
    (ग) उस रीति का पूर्ण विवरण जिसमें उपयोजित किया गया ।
11. कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ।

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई पूर्वोक्त विशिष्टियां सत्य और ठीक हैं ।

संगम के मुख्य कृत्यकारी के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

प्ररूप—वि० प्र० 4

[नियम 4(ख) देखिए]

निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार को विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की संसूचना

[विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6(2)]

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. जन्म तिथि
3. पिता का नाम
4. वर्तमान पता
5. स्थायी पता
6. वह तारीख जिसको वह विधान मण्डल के निर्वाचन हेतु सम्यक्तः नाम निर्दिष्ट किया गया और विधान मण्डल की विशिष्टियां [अधिनियम की धारा 2(1)(ख) और 2(1)(च) देखिए]
7. विधान मण्डल के लिये अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नाम निर्दिष्ट किये जाने के ठीक पूर्ववर्ती 180 दिनों के भीतर प्राप्त विदेशी अभिदाय की पूर्ण विशिष्टियां,
8. विदेशी अभिदाय की प्रकृति और पूर्ण विवरण, जिसमें प्राप्त मूल्य भी है
9. प्राप्ति की विधि / प्रणाली
10. वह प्रयोजन जिसके लिये विदेशी अभिदाय प्राप्त किया गया था
11. उस विदेशी श्रोत की विशिष्टियां जिससे अभिदाय प्राप्त हुआ है :
    (क) यदि व्यष्टि है तो, उसकी वैयक्तिक विशिष्टियां, जिस में नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, राष्ट्रिकता और व्यवसाय सम्मिलित हैं :
    (ख) यदि कोई संगठन/संस्था/संगम/न्यास/प्रतिष्ठान/ट्रेड यूनियन, आदि है तो उनकी निम्नलिखित सहित पूर्ण विशिष्टियां :
        (i) पूरा नाम और पता
        (ii) मुख्य / प्रधान कार्यालय का पता
        (iii) लक्ष्य और उद्देश्य,
        (iv) महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की विशिष्टियां :
12. विदेशी श्रोत से संबंध/व्यौहार
13. अभिदाय के वास्तविक उपयोजन का विवरण :
    (क) विशिष्ट प्रयोजन जिस के लिये उपयोजित किया गया
    (ख) उपयोजन की रीति का पूर्ण विवरण
14. कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो आवेदक देना चाहे,

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई पूर्वोक्त विशिष्टियां सत्य और ठीक हैं ।

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त घोषणा पर श्री———————— सुपुत्र श्री——————————————— निवासी—————————————— द्वारा, जो ————————(*) के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी हैं, 197 ———————— के ——————————— के ———————— दिन मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गये हैं ।

हस्ताक्षर ————————————

नाम स्पष्ट अक्षरों में————————

पदाभिधान ——————————

(वर्ग 1 के राजपत्रित अधिकारी
×या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित की जाए)

---

*यहां 'विधान मण्डल' को, जैसा कि अधिनियम की धारा 2(1)(च) में परिभाषित है, विनिर्दिष्ट करें ।

×राज्य/केन्द्रीय सरकार का

प्ररूप–वि०अ० 5

[नियम 4(ग) देखिए]

किसी विदेशी स्रोत से छात्रवृत्ति वृत्तिका या किसी प्रकार के किसी अन्य संदाय की प्राप्ति के लिये केन्द्रीय सरकार को संसूचना

[विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 7(1) और 7(2)]

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. जन्म तिथि
3. पिता का नाम
4. वर्तमान पता
5. स्थायी पता
6. पासपोर्ट-विशिष्टियां
7. उपजीविका/व्यवसाय का विनिर्दिष्ट विवरण

8. उस विदेशी स्रोत की विशिष्टियां जिससे छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार का कोई अन्य संदाय प्राप्त हुआ :—

(क) यदि व्यष्टि है तो; उसकी व्यक्तिगत विशिष्टियां जिस में नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, राष्ट्रिकता और व्यवसाय सम्मिलित हैं :

(ख) यदि कोई संगठन/संस्था/संगम/न्यास/प्रतिष्ठान/ट्रेड यूनियन, आदि है तो उनकी निम्नलिखित सहित पूर्ण विशिष्टियां :—

(i) पूरा नाम और पूरा पता

(ii) मुख्य/प्रधान कार्यालय का पता,

(iii) लक्ष्य और उद्देश्य

(iv) महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की विशिष्टियां :

9. विदेशी स्रोत से प्राप्त छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार के किसी अन्य संदाय की प्रकृति और पूर्ण विवरण—(क) कुल राशि और विभिन्न शीर्षों जैसे यात्रा व्यय, उपस्कर, वस्त्र, मरम्मत, शिक्षा-शुल्क, आवास-शुल्क, पुस्तकें आदि के अन्तर्गत पृथक-पृथक् और कुल रकम तथा (ख) प्राप्ति की विधि/प्रणाली।

10. छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार के किसी अन्य संदाय का प्रयोजन तथा उन पाठ्यक्रमों के विनिर्दिष्ट विवरण जिनमें उपस्थित रहा / उपस्थित होना है

11. विदेश में रुकने की अवधि, तारीखों सहित

12. कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो आवेदक देना चाहे।

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त विशिष्टियां सत्य और ठीक हैं।

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

प्ररूप—वि० अ० 6

[नियम 8(क) देखिए]

विदेशी अभिदाय (वस्तु) लेखा

वस्तुओं का वर्णन

प्राप्ति						
तारीख	उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे प्राप्त की	प्राप्ति की विधि	प्राप्ति के प्रयोजन	प्राप्त मात्रा	प्राप्त वस्तुओं का अनुमानित मूल्य	केन्द्रीय सरकार को संसूचित करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7

उपयोजन/व्ययन								
तारीख	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे दी गई, विक्रय की गई या अन्यथा अन्तरित की गई	प्रयोजन जिसके लिये दी गई या अन्यथा अन्तरित की गई	संगठन द्वारा उपयोजित की गई	विक्रय की गई	अन्यथा अन्तरित	यदि विक्रय की गई तो कितनी रकम में	विदेशी अभिदाय (करेंसी) लेखा में प्रविष्टि के प्रति निर्देश	बकाया स्टाक में अतिशेष
8	9	10	11	12	13	14	15	16

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई पूर्वोक्त विशिष्टियां सत्य और ठीक हैं।

हस्ताक्षर :

प्ररूप—वि० अ० 7

[नियम 8(ग) देखिए]

विदेशी अभिदाय (प्रतिभूति) लेखा

(1) प्रतिभूतियां की प्रकृत्ति

(2) प्रत्येक प्रतिभूति का नामीय मूल्य

तारीख	उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे प्राप्त की	प्रत्येक प्रतिभूति का विशिष्ट संख्यांक	प्रतिभूतियों का योग	प्रतिभूतियां के नामीय मूल्य का योग	विदेशी प्रतिभूति अर्जित या धारित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञा की विशिष्टियां	केन्द्रीय सरकार को भेजी गई संसूचना की विशिष्टियां
1	2	3	4	5	6	7

तारीख	प्राप्त लाभांश का ब्याज	वह तारीख जिस तक लाभांश या ब्याज प्राप्त किया है	विदेशी अभिदाय (करेंसी) खाता की क्रेडिट जमा खाते, प्रविष्टि के प्रति निर्देश	तारीख	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे विक्रय/अन्तरित की गई	विक्रय/अन्तरित की गई प्रतिभूतियां की कुल संख्या	प्रत्येक अन्तरित प्रतिभूति का विशिष्ट संख्यांक
8	9	10	11	12	13	14	15

कुल राशि जिस पर विक्रय अन्तरित की गई	प्रतिभूतियों के विक्रय/अन्तरित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञा की विशिष्टियां	केन्द्रीय सरकार को भेजी गई संसूचना की विशिष्टियां	विदेशी अभिदाय (करेंसी) लेखा में प्रविष्टि के प्रति निर्देश
16	17	18	19

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई पूर्वोक्त विशिष्टियां सत्य और ठीक हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर ।

[सं० फा० II/21022/5/76–एस और पी (डी० I)]

आर० एल० मिश्र, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976